न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना,आई.ए.एस.

अपील संख्या : 30/2011 एल.आर. एक्ट

सादक अली पुत्र वली खां जाति मुसलमान निवासी गांव सेरुणा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर ।

अपीलान्ट्

बनाम

1. राजस्थान राज्य
2. कुशल सिंह पुत्र केसरी सिंह जाति राजपूत निवासी गांव सेरुणा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर ।

रेस्पोन्डेंट्

उपस्थितः 1– श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री धीरेन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01

निर्णय

दिनांक 21.8.2018

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम् 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ के निर्णय दिनांक 7.2.2011 जिसके द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट सादक अली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सं0 107/2010 अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर. एक्ट खारिज किया गया, के विरुध्द प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलान्ट ने उपखण्ड न्यायालय श्रीडॅगरगढ के समक्ष दिनांक 24.11.2010 को राज.भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की माता जन्नत पत्नी वलीखां निवासी शेरुणा ने दिनांक 18.8.80 को जरिये विक्रय पत्र खसरा नं0 737 की तदादी 6.14 बीघा खेत कुशलसिंह पुत्र केसरीसिंह निवासी शेरुणा में से 9 बिस्वा कृषि भूमि सूड़सर सड़क व नेशनल हाईवे नं0 11 के पूर्वी कोने में खरीद की गयी एवम् मुताबिक विक्रय पत्र राजस्व रिकॉर्ड में मौका अनुसार नामान्तरकरण दर्ज होने के पश्चात वर्ष 2001–2002 में भू–प्रबन्ध सर्वे के दौरान भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मुताबिक कब्जा मौका काश्त के व पूर्व नक्शा ज़माबन्दी राजस्व रिकॉर्ड के सर्वे न कर बिना भौतिक माप के खसरा नं0 972 की तादादी 0.11 हैक्टेयर का नक्शा मौका गलत दर्शाया गया है, जो खसरा नं0 975 अनुसार होता है । यह कि उक्त भूमि रोही शेरुणा के खसरा नं0 972 की तादादी 0.11 हैक्टेयर प्रार्थी अपीलान्ट के नाम से जरिये गिफ्ट डीडी दर्ज है, जिसका राजस्व नक्शा गलत दर्शाया गया है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

चूँकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि की गयी है । अतः गलती का शुध्दिकरण किया जावे ताकि नक्शा राजस्व रिकॉर्ड व कब्जा मौके में भिन्नता न हो । उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड न्यायालय द्वारा धारा–131 व 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 24.11.2010 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एंवं पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थीगण दिनांक 28.1.11 की पेशी रखी गयी । दिनांक 28.1.11 को पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 7.2.11 की पेशी दी गयी एवम् दिनांक 7.2.2011 को अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त किये बिना ही एक पक्षीय अभिभाषक प्रार्थी को सुनकर आदेश दिनांक 7.2.2011 पारित कर प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि '' खसरा नं0 972 के स्थान पर खसरा नं0 975 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की शुध्दि चाही गयी है । प्रकरण लिपिकीय त्रुटि का नहीं है, बल्कि खसरा नं0 975 में खातेदारी घोषित करवाने का है, जो वाद के द्वारा ही सम्भव है, अतः प्रार्थी को वाद के जरिय रिलीफ मांगने की सलाह दी जाती है'' । उपखण्ड न्यायालय, श्रीडूंगरगढ द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश दिनांक 7.2.2011 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेंट के निमित सम्मन जारी कर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर प्राप्त किया गया । प्रकरण में उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिये बिना तथा अप्रार्थीगण राज्य पक्ष एवम् कुशलसिंह से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त किये बिना अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 सरसरी तौर पर बिना कानून की व्याख्या किये खारिज कर दिया गया । जबकि कानून की स्थिति बिल्कुल विपरीत है । यह कि धारा 131 एवम 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम भू–प्रबन्धन बन्द होने के बाद भी लागू होते हैं तथा वर्तमान सैटलमेंट में हुए गलत इन्द्राज को दुरुस्त करने के लिए कानूनन दावा करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उपखण्ड अधिकारी, जिन्हें भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त है, उक्त प्रकार की त्रुटि धारा 136 के प्रार्थाना पत्र के आध्यम से भी दुरुस्त करने हेतु सक्षम है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु को गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावे ।

5. अपील में विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं02 ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेंट सं02 का जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त किये बिना धारा 131 व 136 के प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है । प्रकरण में राज्य पक्ष को भी नहीं सुना

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गया है । अतः पुनः सुनवाई एवम् मौके की जांच हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबन्दी सम्वत 2064–2067 के अनुसार गांव शेरुणा तहसील श्रीडूंगरगढ के खसरा नं0 972 की 0.1100 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी अपीलान्ट की माता जन्नत पत्नी वलीखां के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । उक्त भूमि का अपीलान्ट की माता द्वारा गिफ्ट करने पर गिफ्ट डीड का नामान्तरकरण सं0 306 दिनांक 20.9.10 सादकअली पुत्र वलीखां जाति मुसलमान सा0 देह खातेदार के नाम से दर्ज होकर स्वीकृत हुआ ।

प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट सादकअली द्वारा उपखण्ड न्यायालय श्री डूंगरगढ के समक्ष धारा–131 व 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 24.11.2010 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उपखण्ड न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के पश्चात दिनांक 7.2.2011 को अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त किये बिना ही एक पक्षीय आदेश दिनांक 7.2.2011 पारित कर प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि प्रार्थी द्वारा '' खसरा नं0 972 के स्थान पर खसरा नं0 975 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की शुध्दि चाही गयी है । प्रकरण लिपिकीय त्रुटि का नहीं है, बल्कि खसरा नं0 975 में खातेदारी घोषित करवाने का है, जो वाद के द्वारा ही सम्भव है, अतः प्रार्थी को वाद के जरिय रिलीफ मांगने की सलाह दी जाती है'' । न्यायालय की विनम्र राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.11.10 पर अप्रार्थी सं01 राज्य पक्ष तहसीलदार श्रीडूॅगरगढ एवम अप्रार्थी सं02 कुशलसिंह का जवाब प्राप्त किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सं0 11 पर तहसीलदार श्रीडॅगरगढ द्वारा प्रार्थी सादक अली के प्रार्थना पत्र पर दी गयी सूचना के अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वर्ष 2001–2002 में भू–प्रबन्ध के दौरान प्रार्थी की 0.11 हैक्टेयर भूमि की सही जगह पर तरमीम न करके गलत जगह पर तरमीम करदी गयी, जिसे राजस्व रिकॉर्ड (अक्स) में शुध्द किया जाना वाजिब बताया गया है । प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय, श्रीडूंगरगढ द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 संधारण योग्य नहीं पाये जाने के आधार पर खारिज किया गया है । जबकि सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जान के पश्चात् भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रत्येक गांव के भू–भाग व खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को मानचित्र तथा फील्ड बुक में लिख लेगा तथा ऐसी गलितियों को जो मानचित्र या फील्डबुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा । लिपिकीय त्रुटिपूर्ण इन्द्राज सहमति के आधार पर सुधारने का प्रावधान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में किया गया है एवम्

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ऐसी त्रुटि को सुधारने की अधिकारिता भू–राजस्व अधिकारी (Land records officer) की बनती है तथा सैटलमेंट के दौरान त्रुटिपूर्ण इन्द्राजात को सुधारने हेतु वे सक्षम अधिकारी है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 7–2–2011 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपखण्ड न्यायालय श्रीडूंगरगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जावे तथा अप्रार्थी सं02 कुशलसिंह से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर प्रकरण में राज्य पक्ष तहसीलदार श्री डूंगरगढ से मौका व राजस्व अभिलेख की विस्तृत रिपोर्ट के साथ जवाब प्राप्त कर पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित किया जावे ।

7. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.8.18 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर